रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2011 (ज्येष्ठ 21, 1933)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2011 (JYAISTHA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-12(11)-1/2006-स्था-1--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप धारा(2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) भर्ती विनियम, 2011 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान--पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि--भती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता--ऐसा कोई व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों से छूट दे सकते है।

5. ढील देने की शक्ति--जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले--इन विनियमां के उपबंधों के अधीन निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगे।

7. अपवाद--इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए संबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	क्या सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	*05 *(2011) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है ।	ग्रुप "क" अलिपिकवर्गीय	ग्रेड वेतन 8700/- रुपये के साथ 37400-67000/- रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-4	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13	14
शून्य	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पावधि ठेके सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600/- रुपये के वेतनमान में ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) टिप्पणी 1 : जहाँ पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि अपनी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पणी 2 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 2006 या जिस तारीख से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि ठेके सहित) केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत अधिकारी :- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 वेतनमान 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 7600/- रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में की गई पाँच वर्ष की सेवा के साथ अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य : अथवा (iii) वेतन बैंड-3 वेतनमान 15600-31000 रुपये + ग्रेड वेतन 6600/- रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में की गई दस वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग/विभाग मे समतुल्य, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले :- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में बी.ई. या बी.टेक अथवा समतुल्य । (2) सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं की योजना, निर्माण तथा निष्पादन में 12 वर्ष का अनुभव । टिप्पणी 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । (इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी या केंद्र सरकार के अन्य किसी संगठन या विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि ठेके सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि ठेके सहित) सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि ठेके सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 2006 से (जिस तारीख से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है) पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय उनके जहाँ एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमानों को सामन्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले ग्रेड में मिलाया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन है ।	**ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम -अध्यक्ष 3. वित्त आयुक्त, क.रा.बी. निगम -सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(डॉ. सी.एस. केदार)
महानिदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

ऑरोविल प्रतिष्ठान, ऑरोविल-605101

स्थायी आदेश सं 6/2011, दिनांक 1 मई, 2011
ऑरोविल नगर विकास परिषद् का गठन

यत: मदर ने ऑरोविल की विश्व व्यापी नगर निगम के रूप में कल्पना की थी जो मानवीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के प्रति समर्पित हो और जैसा कि उनके द्वारा आगे "एक स्वप्न" (1954), दि ऑरोविल चार्टर (1968), संदेश "सच्चे ऑरोविलियनर बनें" (1970) और मदर के ऑरोविल के बारे में अन्य कई संदेशों और लेखों में वर्णित किया गया था।

यत: ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1968 की धारा 17 (ङ) और ऑरोविल प्रतिष्ठान, नियम, 1997 की उपधारा 5 (1) के साथ पठित धारा 16(1) शासी बोर्ड को, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन और कार्यों के निष्पादन के लिए, समितियां गठित करने और आवासीय सभा के परामर्श से, ऑरोविल के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर निगम (इसके पश्चात् "नगर निगम" कहा जाएगा) के लिए विकास योजना तैयार करने और योजनाबद्ध रूप से उसका विकास सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं या

यत: शासी बोर्ड ने धारा 17 (ङ) के संबंध में ऑरोविल विश्व व्यापी कालोनी विकास योजना, जिसे इसके पश्चात् "विकास योजना" संदर्भित किया जाएगा (परप्रेक्ष्य 2025), का अनुमोदन किया था।

यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास योजना को, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के पत्र सं एफ.--27-3/2000-यूयू दिनांक 12 अप्रैल, 2001 के तहत् अनुमोदन प्रदान किया गया था और ऑरोविल प्रतिष्ठान द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भारत के राजपत्र (भाग-III) में 16 अगस्त 2010 को अधिसूचित किया गया था या तथा

यत: विकास योजना, "नगर विकास परिषद्" को विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए निकाय के रूप में विकास योजना के परिशिष्ट ट में दिए संगठनात्मक ढांचे के साथ विहित करती है या

अब, इसलिए, शासी बोर्ड, विकास योजना के उपबंधों के अनुसार आवासीय सभा के परामर्श से, कार्य समिति के जरिए विकास, योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "नगर विकास परिषद्" (इसके पश्चात् परिषद्, कहा जाएगा) का गठन करता है जिसमें निम्नलिखित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है या शामिल है : (1) नगर निगम की योजना, विकास और निर्माण, (2) सामाजिक-आर्थिक योजना और विकास या (3) विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण तथा (4) साधन जुटाना और निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन नगर निगम की योजना और विकास का निधियन करना :--

1. परिषद् की सदस्यता :

परिषद् में ऑरोविल के निवासियों में से, जिनके नाम ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 की धारा 18 (2) की शर्तों के अनुसार रखे आवासियों की पंजिका में दर्ज हैं, और शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित हैं, कार्य समिति के माध्यम से आवासीय सभा द्वारा नामित अधिकतम 15 सदस्य होंगे और सदस्यों में निम्नानुसार कार्यात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य और नामित सदस्य होंगे :--

कार्यात्मक क्षेत्र (13 सदस्य)

-- नगर योजना

-- शहरी रूपरेखा

-- भौतिक अवसंरचना

-- सामाजिक अवसंरचना

-- आर्थिक विकास

-- धारणीय विकास पर प्रायोगिक अनुसंधान

-- संसाधन जुटाना

-- कार्यान्वयन और अनुवीक्षण

-- हरित पट्टी, हरित क्षेत्र और उद्यान

-- संचार

नामित सदस्य (2 सदस्य)

-- शासी बोर्ड के नामिती

-- कार्य समिति के नामिती

2. पदधारी :

परिषद के तीन पदधारी होंगे अर्थात् एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और एक सदस्य वित्त और लेखा का प्रभारी। शासी बोर्ड ने श्री बालकृष्ण दोषी को नगर विकास परिषद् में अपना नामिती नामित किया है। परिषद् इन तीन पदधारियों को अपने में से चुनेगी और इन पदधारियों को प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तरों के बारे में निर्णय करेगी।

3. कार्यकाल :

(क) सदस्य का कार्यकाल, उसका कार्य समित द्वारा मनोनयन करने पर शासी बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तारीख से, चार वर्ष का होगा।

(ख) प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि की समाप्ति से छह महीने पूर्व, परिषद् के नए सदस्यों का नामांकन किया जाएगा और तत्कालीन विद्यमान परिषद् के सदस्यों के साथ समावेशन और परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिससे कि परिवर्तन आसानी से सुनिश्चित हो या

(ग) कार्य समिति के परामर्श से शासी बोर्ड कार्यात्मक क्षेत्र के सदस्यों को नई आने वाली परिषद् में पुनर्नियुक्त कर सकेगा ताकि कार्य की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। परिषद् के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति निम्नलिखित खण्ड-3 (घ) के अनुसार पात्रता मानदण्डों के अध्यधीन होगी।

(घ) कोई सदस्य एक अवधि के अनुक्रम में, अधिकतम एक अवधि के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा और बाद के नामांकन के लिए उन्हीं शर्तों पर अंतिम अवधि से दो अवधियों की समाप्ति के पश्चात्, या

4. सदस्यता की समाप्ति :

परिषद् में इन कारणों से सदस्यता समाप्त हो जाएगी (1) यदि वह लगातार परिषद् या ऑरोविल से छह महीने से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है/रहती है या (2) यदि वह लिखित में त्यागपत्र देता/देती है और परिषद् द्वारा सिफारिश किए जाने पर शासी बोर्ड द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है या (3) यदि परिषद् की सिफारिश पर शासी बोर्ड, लिखित में दर्ज उचित और पर्याप्त कारणों से सदस्य को हटा देता है।

5. नामांकन और रिक्तियां :

परिषद् के सदस्य आवासीय सभा के परामर्श से शासी बोर्ड द्वारा कार्य समिति के जरिए नियुक्त किए जाएंगे। यदि किसी कारण से कोई आकस्मिक

रिक्ति होती है तो शासी बोर्ड, कार्य समिति के परामर्श से, शेष अवधि के लिए रिक्ति पर सदस्य नियुक्त कर सकेगा। परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए, शासी बोर्ड समय-समय पर उपयुक्त कार्यालय, आदेश जारी करेगा। ऐसे कार्यालय आदेशों में सदस्यों के नाम, उनकी कालावधि और जिम्मेदारी के कार्यात्मक क्षेत्रों का उल्लेख होगा।

6. कार्य और उत्तरदायित्व :

शासी बोर्ड, विकास योजना में यथा-उल्लिखित निर्धारित प्राधिकारी होने के नाते, परिषद् को एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यों और उत्तरदायित्वों की शक्ति प्रदान करता है :--

(क) यह सुनिश्चित करना कि नगर क्षेत्र आमतौर पर मदर और विकास योजना द्वारा अनुमोदित, "गैलेक्सी कन्सेप्ट" के अनुसार एक समय-सीमा के भीतर आयोजनाबद्ध रूप से विकसित व निर्मित हो ताकि उसमें मदर के ऑरोविल के स्वप्न की झलक मिल सकें, या

(ख) नगर क्षेत्र को समयबद्ध ढंग से निर्मित करने के लिए आंचलिक योजनाएं, स्थानीय क्षेत्र योजनाएं और पंचवर्षीय विस्तृत विकास योजनाएं तैयार करना और अनुमोदित करना, या

(ग) प्रत्येक 15 वर्षों में विकास योजना की समीक्षा करना और उसे अद्यतन बनाना, ऐसी प्रथम समीक्षा 2025 में होगी, या

(घ) विकास योजना विनियमों (बिल्डिंग बाई-लॉज) को तैयार करना व अनुमोदित करना एवं निर्माण अनुमतियां और समापन प्रमाणपत्र देना, या

(ङ) बजट, अनुमान, योजना अनुसूचियां, कार्य-योजनाएं और कार्य समापन अनुसूचियां तैयार करना और अनुमोदित करना, या

(च) नगर क्षेत्र की योजना, विकास और निर्माण के लिए, इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित भूमि की चकबंदी सहित, निधियां जुटाना या जुटाने में सहायता करना। इस प्रकार जुटाई गई निधियां ऑरोविल एकता फण्ड में जमा की जाएंगी और अनुमोदित विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए परिषद् को संवितरित की जाएगी, या

(छ) नगर आयोजकों, शहरी रूपरेखकों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, संविदाकारों, सर्वेक्षकों, परामर्शदाताओं, कानूनी सलाहकारों और ऐसे अन्य विशेषज्ञों और व्यवसायियों की ऑरोविल के भीतर और बाहर से, जैसा जरूरी हो, समय-समय पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिसका कि परिषद् निर्णय करें, सेवाएं प्राप्त करना, या

(ज) ऐसी सम्प्रेषण और परामर्शी प्रक्रियाएं तैयार करना और क्रियान्वित करना जिससे ऑरोविल निवासी मुख्य योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी करने को प्रोत्साहित हो।

(झ) कार्यात्मक टीमों, कार्य दलों, परियोजना टीमों और अन्य संसाधन दलों, जो समय-समय पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर आवश्यक हों, जैसाकि परिषद् निर्णय ले, गठित करना, या

(ञ) सचिव, ऑरोविल प्रतिष्ठान के साथ परामर्श और सहयोग से मुख्य योजना के कार्यान्वयन के लिए, केन्द्रीय, राज्य, स्थानीय या जिला सरकारी प्राधिकरणों से, जहां आवश्यक हो, अपेक्षित मान्यता या समर्थन, प्राप्त करना, या

(ट) शासी बोर्ड के अनुमोदन से मुख्य योजना लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम तैयार करना।

7. सलाहकार समिति :

शासी बोर्ड, नगर विकास परिषद् सलाहकार दल (टीएजी) का गठन करेगा जिसमें निदेशक, नगर तथा ग्राम नियोजन, तमिलनाडु सरकार सहित 7 सदस्यों तक, सम्मिलित होंगे जो तमिलनाडु विकास योजना से संबंधित मामलों पर शासी बोर्ड ओर परिषद् को सलाह देंगे, जिसमें विस्तृत विकास योजनाओं को तैयार करना और योजना तथा विकास की प्रगति का अनुवीक्षण और समीक्षा शामिल है, परन्तु वह वहीं तक सीमित नहीं होगा।

8. जवाबदेही और रिपोर्ट देना :

(क) परिषद् कार्य समिति के माध्यम से शासी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगी और उसे इसके कार्यकलापों का, जब कभी अपेक्षित हो, आय व्यय सहित शासी बोर्ड को विश्वसनीय और सही लेखा प्रस्तुत करेगी।

(ख) परिषद् कार्य समिति के माध्यम से इसके कार्यकलापों का विश्वसनीय और सही लेखा आवासीय सभा को भी प्रस्तुत करेगी, जैसा कि समय-समय पर निर्णय लिया जाए।

(ग) परिषद् मुख्य योजना को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

9. आंतरिक प्रबंधन :

परिषद्, कार्य समिति के माध्यम से शासी बोर्ड के अनुमोदन से, ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988, ऑरोविल प्रतिष्ठान नियम, 1997 और इस अधिसूचना के उपबंधों, जो सभी तरह से अप्रासंगिक नहीं हैं, अपनी आंतरिक कार्य प्रणाली निर्धारित करेगी। परिषद् अपने आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय प्रक्रिया संहिता की प्रति कार्य समिति और शासी बोर्ड को सूचनार्थ प्रदान करेगी।

10. ल'एवेनिर डी'ऑरोविल

चूंकि "ल'ऐवेनिर डी'ऑरोविल" नाम मदर द्वारा नगर योजना, विकास और संगठन के निर्माण के लिए दिया गया था या परिषद् इसे रखे रहेगी और अपने आंतरिक पत्र-व्यवहार में "ऑरोविल नगर विकास परिषद्-ल'ऐवेनिर डी'ऑरोविल अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगी।

परिषद् के गठन की तारीख से "ल'ऐवेनिर डी'ऑरोविल" नाम से जानी जाने वाली समिति और जिसका गठन शासी बोर्ड द्वारा उसके स्थायी आदेश सं. 1/2008 दिनांक 11 मार्च, 2008 और संबंधित कार्यालय आदेशों द्वारा किया गया था, विद्यमान नहीं रहेगी और काम नहीं करेगी।

11. अधिसूचना में संशोधन

कार्य समिति के परामर्श से शासी बोर्ड, समय-समय पर इस स्थायी आदेश के किसी या अन्य सभी उपबंधों का संशोधन कर सकेगा।

12. यह स्थायी आदेश अध्यक्ष, ऑरोविल प्रतिष्ठान के अनुमोदन से जारी किया जाता है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

एम. रामास्वामी
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 5th January 2011

No. DNBS. (PD) 221/CGM(US)-2011—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, contained in Notification No. DNBS. 193/DG(VL)-2007 dated February 22, 2007 (hereinafter referred to as the Directions), in exercise of the powers conferred by sections 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows :—

Amendment of paragraph 1—

In sub-paragraph (3), after clause (iv), the following clauses (v) and (vi) shall be inserted

"(v) These Directions shall not apply to a non-banking financial company being a Core Investment Company referred to in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 (hereinafter referred to as CIC Directions), which is not a systemically important Core Investment Company as defined in clause (h) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the CIC Directions."

(vi) The provisions of paragraphs 15, 16 and 18 of these Directions shall not apply to a Systemically Important Core Investment Company as defined in the CIC Directions, subject to the condition that it submits the Annual Auditors Certificate and meets with the capital requirements and leverage ratio, as specified in the CIC Directions."

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In-Charge

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-12 (11)-1/2006-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Superintending Engineer (Civil) in the Employees' State Insurance Corporation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the employees' State Insurance Corporation, superintending Engineer (Civil) Recruitment Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classificaiton and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any perosn from the operation of these regulations.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters.—Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in Employees' State Insurance Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Superintending Engineer (Civil).	5* *(2011) (Subject to variation dependent on work load).	Group A, Non-Ministerial.	Pay Band - 4 in the Scale of pay of Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nil.	By promotion failing which by deputation including short term contract.	**Promotion:** Executive Engineer (Civil) in Pay Band -3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600 with ten years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended, based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band -3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in parent cadre or department ; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in parent cadre or department ; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor of Engineering or B. Tech. in Civil Engineering from a recognised university or institute or equivalent, and (ii) Twelve years' experience in planning, construction and execution of civil engineering projects. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.) Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman 2.Director General, Employees' State Insurance Corporation - Member 3. Financial Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

(Dr. C. S. Kedar)
Director General

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

AUROVILLE FOUNDATION, AUROVILLE-605101

STANDING ORDER NO. 6/2011 DATED 1st MAY 2011
CONSTITUTION OF AUROVILLE TOWN DEVELOPMENT COUNCIL

Whereas the Mother had envisaged Auroville as a universal township dedicated to human unity and international understanding and as further described by her in "A Dream" (1954), the Auroville Charter (1968), the message "To be a True Aurovilian" (1970) and the Mother's numerous other messages and writings on Auroville.

Whereas Section 16(1) read together with Section 17(e) of the Auroville Foundation Act, 1988 and sub section 5(1)(b) of the Auroville Foundation Rules, 1997 empowers the Governing Board to constitute committees for efficient discharge of its duties and performance of its functions, and also prepare, in consultation with the Residents' Assembly, the Master Plan for the international cultural township of Auroville (hereinafter referred to as "the township") and ensure its development so planned;

Whereas the Governing Board, in terms of Section 17(e), *ibid,* approved the Auroville Universal Township Master Plan (Perspective 2025), hereinafter referred to as "The Master Plan", prepared by the Residents' Assembly of Auroville;

Whereas the Master Plan was approved by the Central Government, vide Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) letter No. F. 27-3/2000-UU dated 12 April 2001, and was notified by Auroville Foundation, with the approval of the Central Government, in the Gazette of India (Part III) on 16th August 2010; and

Whereas the Master Plan prescribes the "Town Development Council" as the body for implementing the Master Plan with an organisational structure as in Appendix-V of the Master Plan;

Now, therefore, the Governing Board, in terms of the provisions of the Master Plan, constitutes the "Town Development Council" (hereinafter referred to as "the Council") in consultation with the Residents' Assembly through the Working Committee, for the purpose of implementation of the Master Plan which includes but is not limited to (1) planning, developing and building of the township, (2) socio-economic planning and development: (3) implementing and monitoring of development plans; and (4) mobilizing resources and funding the planning and development of the Township, subject to the following provisions :

1. Council Membership :

The Council shall consist of a maximum of 15 members nominated by the Residents' Assembly through the Working Committee from amongst the Residents' of Auroville, whose names are entered in the Register of Residents' maintained in terms of Section 18(2) of the Auroville Foundation Act 1988 and approved and notified by the Governing Board and shall include members representing functional areas and nominated members as given below :

Functional Areas (13 Members) :

— Town Planning

— Urban Design

— Physical Infrastructure

— Social Infrastructure

— Economic Development

— Applied Research on Substainable Development

— Resource Mobilisation

— Implementation and Monitoring

— Greenbelt, Green Zones and Parks

— Communication

Nominated Members (2 Members) :

— Nominee of the Governing Board

— Nominee of the Working Committee

2. Office Bearers :

The Council will have three office-bearers namely one Chairperson, one Member-Secretary and one Member in charge of Finance & Accounts. The Governing Board nominates Shri Balakrishna Doshi, be their nominee in the Town Development Council. The Council shall elect these three office-bearers from amongst themselves and decide on the levels of delegated authority to these office bearers.

3. Term of Office :

(a) The term of office of a member shall be 4 years from the date of notification by the Governing Board of his/her nomination by Working Committee;

(b) Six months before the expiry of each 4 year term, the new members of the Council will be nominated and will commence an induction and transition process with the then existing Council members to ensure a smooth transition;

(c) The Governing Board may, in consultation with the Working Committee, may re-appoint functional area members to the new succeeding Council, so as to ensure continuity of work. The re-appointment of Council members will be subject to the eligibility criterion as per clause 3(d) below.

(d) A member shall be eligible for re-nomination for a maximum of one term in succession and for subsequent nomination on the same terms after a lapse of 2 terms from the last one; and for

subsequent nomination on the same terms after a lapse of 2 terms from the last one; and for subsequent nomination on the same terms after a lapse of 2 terms from the last one.

4. Cessation of Membership :

A member shall cease to be on the Council : (1) if he/she is continuously absent from Council work or Auroville for more than six months; (2) if he/she resigns in writing and the resignation, recommended by the Council, is accepted by the Governing Board; (3) if the Governing Board, on the recommendations of the Council, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, removes a members;

5. Nominations and Vacancies :

Members of the Council will be appointed by the Governing Board in consultation with the Residents Assembly through the Working Committee. If a casual vacancy is caused for any reason, the Governing Board, in consultation with the Working Committee, may appoint a member for the vacancy for the remaining period of the term. For the appointment of members of the Council, the Governing Board will issue suitable Office Orders from time to time. Such Office Orders will contain the names of the members, their term and the functional areas of responsibility.

6. Functions and Responsibilities :

The Governing Board herewith empowers the Council, being the Prescribed Authority as mentioned in the Master Plan, with the following functions and responsibilities :

(a) Ensure that the township is planned, developed and built generally according to the "Galaxy Concept" approved by the Mother and the Master Plan to manifest the Mother's vision of Auroville within a time frame;

(b) Prepare and approve Zonal Plans, Local Area Plans and 5 year Detailed Development Plans for building the Township in a time bound manner;

(c) Review and update the Master Plan every 15 years with the first such review to take place in 2025;

(d) Prepare and approve Development Plan Regulations (Building By-Laws) as well as give building Permissions and Completion Certificates;

(e) Prepare and approve budgets, estimates, planning schedules, work plans and work completion schedules;

(f) Assist in raising or raise funds for planning, developing and building the Township including the consolidation of land required for the purpose. The funds so raised shall be deposited in the Auroville Unity Fund and disbursed to the Council for the realisation of approved development plans;

(g) Secure the services of town planners, urban designers, engineers, architects, contractors, surveyors, consultants, legal advisors, and such other experts and professionals from within and outside Auroville as may be necessary from time to time and on such terms and conditions as may be decided by the Council;

(h) Prepare and implement communication and consultation processes that encourage an active, constructive and participatory involvement of Auroville residents in the implementation of the Master Plan;

(i) Constitute functional teams, working groups, project teams and other resource groups as may be necessary from time to time on such terms and conditions as may be decided by the Council;

(j) Secure, where necessary, the required recognition or endorsement from the appropriate central, state, local or district government authorities for the implementation of the Master Plan in consultation and cooperation with the Secretary, Auroville Foundation;

(k) Prepare rules and regulations for ensuring enforcement of the Master Plan with the approval of the Governing Board.

7. Advisory Committee :

The Governing Board will constitute the TDC Advisory Group (TAG) comprising upto 7 members including the Director, Town and Country Planning, Government of Tamil Nadu, to advise the Governing board and the Council on matters relating to the Master Plan, including, but not limited to, the preparation of Detailed Development Plans and the monitoring and reviewing of planning and development progress.

8. Accountability and Reporting :

(a) The Council shall be accountable to the Governing Board, through the Working Committee, and shall submit to it a faithful and true account of its activities, including income and expenditure as and when required by the Governing Board.

(b) The Council shall also submit a faithful and true account of its activities to the Residents' Assembly, through the Working Committee, as decided from time to time.

(c) The Council shall publish an annual report on the progress in implementing the Master Plan.

9. Internal Management :

The Council shall determine, with the approval of the Governing Board through the Working Committee, its internal working procedures in all respects not inconsistent with the Auroville Foundation Act, 1988, the Auroville Foundation Rules, 1997 and the provisions of this Notification. The

Council shall provide a copy of its internal management and financial processes manual to the Working Committee and the Governing Board for information.

10. L'avenir d' Auroville

Since the name "L'avenir d' Auroville" was given by the Mother for the Township Planning, developing and building the organisation; the Council shall retain it and may use the expression "Auroville Town Development Council-L'avenir d'Auroville" in its internal communications.

From the date of constitution of the Council, the committee known by the name of "L'avenir d'Auroville" and constituted by the Governing Board by its Standing Order No. 1/2008 dated 11 March 2008, and the connected Office Orders, shall cease to exist and function, and its roles and responsibilities shall be taken over by the Council.

11. Amendments to the Notification

The Governing Board, in consultation with the Working Committee, may amend, from time to time, any or all of the provisions of this Standing Order.

12. This Standing Order is issued with the approval of Chairman, Auroville Foundation and shall come into force with immediate effect.

M. RAMASWAMY
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011